

मध्यप्रदेश शासन  
गृह विभाग (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक / एफ-4-2/ 06, दो ए (3)  
प्रति,

भौपाल दिनांक 11 जनवरी, 2008

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मंडल,  
समस्त संभागाध्यक्ष / समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्य प्रदेश।

विषय:-  
संदर्भ:-

वर्दी सिलाई दरों का पुनरीक्षण ।  
गृह विभाग का ज्ञापन क्रमांक 2-3/ 93 / दोए(3) दिनांक 20/ 10/ 93, एवं  
ज्ञापन क्रमांक 4-3/ 93 / दोए (3) दिनांक 1/ 7/ 97  
000

राज्य शासन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय की जाने वाली बंदियों की  
सिलाई दरों को एतद्वारा निमानुसार पुनरीक्षित करता है। ये दरे आदेश जारी होने के दिनांक  
से प्रभावशील होगी : -

क्रमांक	वर्दी का नाम	सिलाई की दरे
1-	बटन अब कोट	90.00
2-	ट्राउजर	68.00
3-	गांधी टोपी	08.00
4-	पायजामा	30.00
5-	बुशर्ट / हाफ शर्ट	68.00
6-	बुशर्ट / पाकेटवाला	75.00
7-	गरम कोट	300.00
8-	ब्लाउज (सलूक)	30.00

2/- इसी दर पर स्व सहायकता समूह कार्य करने के लिए तैयार हो, तो उनको  
प्राधिकृति दी जावे।

3/- इस पर होने वाला व्यय संबंधीत विभाग के बजट में विकलनीय होगा।

4/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 2387/ 2007/ नि/ चार, दिनांक 4/ 1/ 2008 द्वारा महालेखाकार, रखालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( दशरथ कुमार )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह (सामान्य) विभाग


पूरकसंकेत एक 4-2/2006/पंत्र(3)  
प्रतिलिपि

जायज्ञान, दिनांक 11 जनवरी, 2008

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मोपाल।

2. महालेखाकार, म0प्र0खालियर।
3. पंजीयक, उच्च स्थायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, इंदौर, मध्यप्रदेश।
5. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, म0प्र0मोपाल।
6. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म0प्र0मोपाल।
7. अवर सचिव(अर्धीक्षण) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. अवर सचिव(स्थापना) मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग।
9. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0मंत्रालय, मोपाल।
11. मध्यप्रदेश राजपत्रित संघ, मोपाल।
12. म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मोपाल।
13. मध्यप्रदेश चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, मोपाल।
14. मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, मोपाल।
15. म0प्र0मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, मोपाल।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
गृह ( सामान्य ) विभाग